N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0190   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 04/09/2024 21:04 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 01/09/2024   Date To (दिनांक तक): 02/09/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 12:20 बजे   Time To (समय तक): 13:07 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 04/09/2024   Time (समय): 18:30 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003   Date & Time (दिनांक एवं समय) 04/09/2024 21:04:57 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-EAST, 9 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b) Address(पता): POLICE THANA AADARSH NAGAR, AJMER
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** VINENDRA SINGH
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** AJAY SINGH
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1981 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	17, SARVODAY COLONY, POLICE LINE AJMER, AJMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	17, SARVODAYA COLONY, POLICE LINE AJMER, AJMER, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SURESH CHAND		पिता:DURGAPRASAD	1. JAINPURVAS,THANA BEHROR,ALWAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें,श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,अजमेर विषयः- रिष्वत लेते हुये पकडवाने के सम्बन्ध में। मान्यवर,उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि दिनांक 30.08.2024 को सायंकाल मेरे मोबाईल नम्बर पर मोबाईल फोन नम्बर पर कॉल आया व स्वंय को पुलिस थाना आदर्ष नगर पदस्थापित होकर स्वंय को सुरेष चन्द हैड कानिस्टेबल होना बताते हुये कहा कि आपके विरूद्व थाने में षिकायत आयी है आप कल सुबह थाने पर आ जाना। दिनांक 31.08.2024 को सुबह करीब साढे दस बजे मै पुलिस थाना आदर्ष नगर गया। वंहा पर मै सुरेष चन्द हैड कानिस्टेबल से मिला जो कि सिविल ड्रेस मे ही था। उसने मुझे साजन पठान द्वारा मेरे खिलाफ लिखित में षिकायत करने की बात कही तथा कुछ देर में साजन पठान को भी बुला लिया। साजन पठान मेरे पास ही सीमेन्ट परिवहन का कार्य करता है और सीमेन्ट व पषु आहार विक्रय भी करता है। सीमेन्ट व पषु आहार के बदले साजन पठान के उपर मेरी 260000 रूपये की उधारी बकाया होने व मेरे द्वारा उधारी का पैसा मांगने के कारण अपनी तीन लोडिंग गाडिया खुद ही मेरे गोदाम पर छोड गया था। साजन पठान ने झूठी षिकायत थाने मे की कि मै गाडिया लौटा नही रहा हूं। आदर्ष नगर पुलिस थाना के कर्मचारी श्री सुरेष जी ने मुझे धमकाते हुये कहा कि साजन द्वारा दी गई षिकायत पर तेरे विरूद्व गाडी चोरी का मुकदमा दर्ज कर दूंगा। फिर मेरे द्वारा उसे समझाया गया कि मै साजन में रूपये मांगता हूं तथा हिसाब बकाया होने की बात कही। फिर वह मेरी बात सुनकर साजन पठान को मेरे से थोडा दूर साईड मे ले गया और वापस आकर बोला कि आप दोनो आपस में स्टाम्प पर लिखापढी कर लो व आप साजन से बकाया राषि का चैक ले कर मामला खत्म करो व इनकी गाडिया आपके गोदाम से ले जाने दो नही तो इसकी गाडियो के मामले जेल जाना पडेगा। लिखापढी की एक फोटो कॉपी दे दो जिससे आपके विरूद्व षिकायत को मै बन्द कर दूंगा। उसके बाद मेरे और साजन पठान के मध्य सहमति हो गई तथा हम दोनो ने थाने से जाकर अमानतनामा बनवा दिया तथा उसे नोटरी भी करवा दिया साजन ने मुझे राषि 260000 रूपये दिनांक 30.11.2024 का चैक भी दे दिया। हमारे बीच हुई लिखापढी करके हम दोनो वापस थाने पर गये जंहा पर सुरेष जी को मैने नोटरी शुदा स्टाम्प, चैक की फोटो प्रति दे दी। सुरेष चन्द ने मुझसे कहा कि आपका काम करवा दिया है मुझे अपने हिसाब से खर्चा दे दो। मैने आपकी मदद ही की है नही तो केस दर्ज हो जाता व जेल भी जाना पडता। मैने सुरेष से कहा कि अभी तो मेरे पास पैसे नही है तो उन्होने कहा कोई बात नही कल आ जाना जिस पर मैने कहा कि अभी तो साजन की गाडिया उसे सौप देता हूं और कल आकर आपसे मिलता हूं। फिर हम वंहा से रवाना होकर मेरे गोदाम पर आये तथा मैने गाडिया साजन पठान को दे दी तथा उसका विडियो बनाकर श्री सुरेष चन्द्र को वाट्सएप पर भेज दिया। अब मुझे श्री सुरेष चन्द हैड कानिस्टेबल को खर्चे पानी अर्थात रिष्वत देनी है परन्तु मै श्री सुरेष को रिष्वत नही देना चाहता हूं बल्कि उसे रिष्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूं। यदि मै उसे रिष्वत नही दूंगा तो वह मुझे परेषान करता रहेगा। दिनांक 01.09.2024 प्रार्थी (विनेन्द्र सिंह) मो0 कार्यावाही पुलिस एसीबी अजमेर दिनांक 01.09.2024 समय - 12.20 पी.एम. उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट परिवादी श्री विनेन्द्र सिंह पुत्र चौहान पुत्र श्री अजय सिंह चौहान जाति माली उम्र 43 साल निवासी 17 सर्वोदय कॉलोनी पुलिस लाईन अजमेर ने कार्यालय मे उपस्थित होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अजमेर श्री भागचन्द्र को प्रस्तुत की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने मन् निरीक्षक पुलिस को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी से उपरोक्तानुसार परिचय करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये। मन् निरीक्षक पुलिस उक्त प्रार्थना पत्र व परिवादी सहित अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवादी को पढकर सुनाया गया तो स्वंय का हस्त लिखित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो बताया कि " मेरा पुलिस थाना आदर्ष नगर क्षैत्र में माखपुरा एरिया में गोदाम है। मेरे पास श्री सीमेन्ट की डीलरषीप है एंव सीमेन्ट बिरला उत्तम को भी बेचने का काम करता हूं। इसके अलावा पषु आहार व पषुओं का चारा खरीदने बेचने का काम भी करता हूं। श्री साजन पठान करीब 4 साल से मेरे पास सीमेन्ट के परिवहन का काम करता है। तथा मेरे से पषु आहार, सीमेन्ट आदि लेकर विक्रय का कार्य करता है जिसके पेटे उस पर 275000 रूपये की उधारी हो गई थी 15000 रूपये उसके द्वारा चुका दिये गये है व 260000 रूपये की लिखापढी साजन द्वारा थाने में षिकायत करने के बाद में हमारे बीच की गई है। मेरा एक गोदाम सब्जी मण्डी ब्यावर रोड पर भी है। मुझे बहुत से लोग दीपू चौहान नाम से जानते है दीपू मेरा निक नेम है। साजन पठान ने दीपू चौहान नाम से ही थाने मे शिकायत दी है। मै यदि सुरेष हैड कानिस्टेबल को खर्चा पानी अर्थात रिष्वत नही दूंगा तो वह

किसी भी तरह से परेषान कर सकता है क्योंकि मेरा गोदाम पुलिस थाना आदर्ष नगर मे स्थित है। मै सुरेष चन्द हैड कानिस्टेबल को रिश्वत नही देना चाहता हूं तथा रिष्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूं। मेरी सुरेष चन्द हैड कानि से किसी प्रकार की कोई रंजिश व उधार का लेनदेन या अन्य किसी भी प्रकार का लेनदेन नही है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दरियाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध मे अवगत करवाया जिस पर परिवादी ने बताया कि मै अभी जाकर श्री सुरेष चन्द्र हैड कानिस्टेबल से पुलिस थाना आदर्ष नगर जाकर रिश्वत के सम्बन्ध मे बात कर लूंगा। दिनांक 01.09.2024 समय 1.00 पीएम पर कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखे हुये वायॅस रिकॉर्डर को मंगवाया जाकर उसमें नया/खाली मैमोरी कार्ड डाला जाकर वायॅस रिकॉर्डर को ऑपरेट करना परिवादी को समझाया गया। श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308 को कक्ष मे तलब किया जाकर परिवादी से आपस मे परिचय करवाया तथा परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित करवाने हेतु पुलिस थाना आदर्ष नगर जाने की हिदायत दी गई।दिनांक 01.09.2024 समय 01.10 पी.एम. पर श्री रविन्द्र सिंह कानि को वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित करवाने हेतु थाना आदर्ष नगर अजमेर के लिये रूख्सत किया गया। दिनांक 01.09.2024 समय 02.20 पीएम पर श्री रविन्द्र सिंह कानि मय परिवादी के उपस्थित आया वायॅस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को बन्द अवस्था में पेश किया । वायॅस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि आपके कार्यालय से मै और रविन्द्र जी मेरी मोटर साईकिल से रवाना होकर पुलिस थाना आदर्ष नगर से करीब 100 मीटर पहले पहुंचे। रविन्द्र जी ने मुझे वायॅस रिकॉर्ड चालू करके दे दिया। मै थाने के अन्दर जाकर श्री सुरेषजी से मिला तथा मेरे काम व रिष्वत के सम्बन्ध में बात की तो सुरेष जी ने कागज पर अंको में 10000 लिखे मेरे द्वारा उन्हे 9000 रूपये देने के लिये कहा तो उन्होने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। मैने उन्हे कहा कि कागजो की फोटो कॉपी दे दो मै दस हजार रूपये दे दूंगा। मै करीब 20 मिनट बाद वापस रविन्द्र जी के पास आया जिनके द्वारा वायॅस रिकॉर्डर को बन्द कर अपने पास रख लिया। फिर हम वंहा से रवाना हो गये। श्री रविन्द्र सिंह कानि0 द्वारा परिवादी के बताये तथ्यो की ताईद की गई। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा प्रस्तुत शुदा वायॅस रिकॉर्डर को चालू करके सुना गया तो, परिवादी के कथनो की ताईद हुई। परिवादी ने बताया कि कल रिष्वत राषि दस हजार रूपये सुरेष जी को दिये जाने है। मै कल सुबह रूपयो की व्यवस्था कर आ जाउंगा । जिस पर परिवादी को गोपनीयता की हिदायत दी जाकर रूख्सत किया गया। वायॅस रिकॉर्डर को मैने मेरी अलमारी मे सुरक्षित रखा। दिनांक 02.09.2024 समय 09.00 ए.एम. पर स्वतन्त्र गवाहो की तलबी हेतु मुख्य प्रबन्धक रोडवेज अजमेर को दो कर्मचारी भिजवाये जाने हेतु जरिये मोबाईल फोन निवेदन किया गया। दिनांक 02.09.2024 समय 09.30 ए.एम. पर परिवादी विनेन्द्र सिंह कार्यालय मे उपस्थित आया तथा अवगत करवाया कि मै 10000 रूपये रिश्वत राशि जो श्री सुरेष चन्द हैड कानिस्टेबल को दी जानी है की व्यवस्था करके आया हूं आज रिश्वत लेते हुये उसे पकडने की कार्यवाही की जा सकती है। परिवादी को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। दिनांक 02.09.2024 समय 09.40 ए.एम. पर श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री लोकेष चन्द शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 34 साल निवासी मुकाम पोस्ट हरमाडा, तहसील किषनगढ, पुलिस थाना बान्दर सिन्दरी जिला अजमेर हाल परिचालक केन्द्रीय बस स्टेण्ड अजमेर आगार व श्री जगदीष वैष्णव पुत्र श्री लालदास जाति वैष्णव उम्र 59 साल निवासी ग्राम गुढा जोधा पोस्ट भैरून्दा, पुलिस थाना थावंला तहसील रियाबंडी जिला नागौर हाल चालक केन्द्रीय बस स्टेण्ड अजमेर आगार उपस्थित आये जिन्हे मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय दिया जाकर उपरोक्तानुसार परिचय प्राप्त किया गया। मन् निरीक्षक के पास मौजूद परिवादी का आपस मे गवाहो से परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व दिखाया गया। गवाहान द्वारा प्रार्थना पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाहे जाने पर दोनो गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गई। मन् निरीक्षक पुलिस की अलमारी मे सुरक्षित रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो वायॅस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड है को अलमारी से बाहर निकाल कर चालू करके गवाहान को सुनाया गया। वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। दिनांक 02.09.2024 समय 10.25 ए.एम. पर परिवादी श्री विनेन्द्र सिंह को दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10000 रूपये पेश किये, जिन पर श्री प्रदीप सिंह शीघ्र लिपिक से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोफथलीन पाउडर मंगवाकर नोटो पर प्रदीप सिंह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री विनेन्द्र सिंह की पहनी हुई जिंस पेंट की सामने की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुए पाउडर युक्त नोट रखवाये गये। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यो के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा सभी का आपस मे परिचय करवाया गया एवं की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाया गया। दिनांक 02.09.2024 समय 11.01 ए.एम. पर परिवादी श्री विनेद्र सिंह के मोबाईल फोन नम्बर से आरोपी श्री सुरेष के मोबाईल फोन नम्बर पर वार्ता करवाई जाकर वार्ता को वायॅस रिकॉर्डर जिसमें नया/खाली मैमोरी कार्ड डाला जाकर परिवादी का स्पीकर ऑन किया जाकर वार्ता को वायॅस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। वार्ता में आरोपी द्वारा कहा जाता है कि मै फोन करू जब आ जाना थोडी लेट में।

वार्यस रिकॉर्डर को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वंय के पास सुरक्षित रखा गया व श्री सुरेष हैड कानि0 के मोबाईल फोन आने के इन्तजार में कार्यालय में ही मुकीम रहे। दिनांक 02.09.2024 समय 12.16 पीएम पर सुरेष चन्द हैड कानिस्टेबल के मोबाईल फोन नम्बर [illegible] से परिवादी श्री विनेद्र सिंह के मोबाईल फोन नम्बर [illegible] पर फोन आया जिसमें आरोपी द्वारा परिवादी को बुलाया गया। वार्ता को को वार्यस रिकॉर्डर मे लगे मैमोरी कार्ड में परिवादी का स्पीकर ऑन किया जाकर वार्ता को वार्यस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। दिनांक 02.09.2024 12.25 पीएम पर पर ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् निरीक्षक पुलिस स्वतन्त्र गवाह श्री, जगदीष वैष्णव, श्री कैलाष चारण हैड कानिस्टेबल, श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि0,321 मय लैपटॉप प्रिन्टर,ट्रेप बॉक्स आदि के प्राईवेट वाहन सें, परिवादी विनेन्द्र सिंह व रविन्द्र सिंह मय वार्यस रिकॉर्डर के परिवादी के वाहन से, श्री महेष हैड कानि नम्बर 10 मय प्राईवेट वाहन मय गवाह श्री दीपक शर्मा , श्री बच्छराज उप निरीक्षक व श्री अर्जुन टाडी कानि0 नम्बर 109 मोटर साईकिल से, श्री श्याम प्रकाश सहायक उप निरीक्षक व श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक मोटर साईकिल एंव श्री राजूराम कानि0 मोटर साईकिल से ट्रेप कार्यवाही हेतु पुलिस थाना आदर्श नगर अजमेर के लिये रवाना हुये। दिनांक 02.09.2024 समय 12.55 पीएम पर उपरोक्त फिकरा की रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के पुलिस थाना आदर्श नगर के पास पहुंचें। श्री रविन्द्र सिंह द्वारा परिवादी को वार्यस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर समय 01.00 पीएम पर रिश्वत राशि आरोपी श्री सुरेश चन्द हैड कानिस्टेबल को दिये जाने हेतु पुलिस थाना आदर्श नगर के लिये रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के थाना के आसपास ही अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मुकीम रहा। समय करीब 01.07 पीएम पर कानि0 श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308 ने मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये वाट्स-एप कॉल रिश्वत राशि आदान-प्रदान बाबत अवगत करवाया गया जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्टॉफ के सभी सदस्यो को सूचित कर मय हमराहीयान श्री कैलाश चारण हैड कानि0 नम्बर 62, श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि नम्बर 321, गवाह श्री जगदीश वैष्णव, के पुलिस थाना आदर्श नगर, अजमेर पहुंचा, इसी दौरान श्री बच्छराज सिंह उप निरीक्षक पुलिस, श्री अर्जुन टांडी कानिस्टेबल 102 , श्री महेश हैड कानि नम्बर 10 , गवाह श्री दीपक शर्मा, श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक ने भी पुलिस थाना आदर्श नगर में प्रवेश किया थाना परिसर थाना परिसर में पीछे की तरफ श्री श्याम प्रकाश सहायक उप निरीक्षक व रविन्द्र सिंह कानिस्टेबल, श्री राजूराम कानिस्टेबल एंव परिवादी श्री विनेन्द्र सिंह पुलिस की वर्दी धारी व्यक्ति के पास मौजूद मिले। श्री श्याम प्रकाश उप निरीक्षक ने वार्यस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को बन्द अवस्था मे सुपुर्द किया जिसे प्राप्त किया जाकर अपने पास सुरक्षित रखा। उक्त व्यक्ति को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय दिया जाकर आने के प्रयोजन से अवगत करवाते हुये नाम पूछा तो स्वंय का नाम सुरेश चन्द्र हैड कानिस्टेबल पुलिस चौकी आदर्श नगर, पुलिस थाना आदर्श नगर, होना बताया। अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री सुरेश चन्द को हमराह लिया जाकर पुलिस थाना आदर्श नगर के अन्दर पहुंच कर मौजूद स्टॉफ को अवगत करवाया जाकर थानाधिकारी कक्ष में अग्रिम कार्यवाही आरम्भ करते हुये मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री सुरेश चन्द से पूरा नाम व पता पूछा तो पूरा नाम पता श्री सुरेश चन्द पुत्र स्व0 श्री दुर्गा प्रसाद उम्र 48 साल मेघवाल निवासी मकान नम्बर 20 अर्जुन लाल सेठी नगर अजमेर हाल हैड कानि नम्बर 48 पुलिस चौकी आदर्श नगर, पुलिस थाना आदर्श नगर अजमेर होना बताया। परिवादी ने बताया कि थाने के अन्दर आकर मै श्री सुरेश जी से मिला तथा इन्हे 10000 रूपये दिये जो इनके द्वारा इनके पास मौजूद पैड जिसमें कागजात रखे हुये थे के उपर ईशारे से रखवाये मैने इनसे कहा कि वादा पूरा हो गया दस हजार रूपये पूरे है। मैने रविन्द्र जी को मोबाईल फोन पर सूचित कर दिया। श्री सुरेश चन्द से रिश्वत राशि के सम्बन्ध मे पूछा तो कहा कि मैने विनेन्द्र से कोई रिश्वत राशि नही ली है इसने पैसे कब रख दिये इसकी मुझे जानकारी नही है जिस पर श्री सुरेश चन्द हैड कानिस्टेबल के पास मौजूद एक क्लीप बोर्ड जिसमें उपर की तरफ कुछ कागज लगे हुये को गवाह श्री जगदीश वैष्णव से कागजो पलटवाया तो साजन पठान द्वारा परिवादी के विरूद्व दी गई शिकायत के एक कागज के उपर बीच 500-500 रूपये के नोट नजर आये जिसे उसी अवस्था मे रहने दिया गया। तत्पश्चात श्री सुरेश चन्द हैड कानिस्टेबल के हाथो के धोवण हेतु थाना परिसर से ही पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो पारदर्शी प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में श्री सुरेश चन्द के दाहिने हाथ व बायें हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दोनो हाथो के धोवण का रंग मटमैला हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर मटमैला होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच साफ शिशियो को पुनः साफ कर दाहिने व बांये हाथ के धोवण को पृथक पृथक दो-दो शीशीयो मे आधा-आधा भरकर व धोवण की शिंशियों पर मार्क क्रमशः आर.एच. 1 , आर.एच. 2, एल.एच. 1 व एल.एच. 2 अंकित कर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। रिश्वत राशि क्लीप बोर्ड मे रखे कागजो मे मौजूद है जिन्हे गवाह श्री दीपक शर्मा से उठवाया गया गया तो 500-500 रूपये 20 नोट कुल 10000 रूपये होना बताया जिनका मिलान दोनो गवाहान को पूर्व की मुर्तिब शुदा फर्द पेशकशी से करने की कहने पर दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बरो का मिलान कर हुबहु होना तथा 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10000 रूपये होना बताया गया। उक्त रिश्वत राशि को एक पीले कागज के लिफाफे में रखकर सिल्ड कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क "एन" अंकित किया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी

के पास मिले क्लीप बोर्ड जिसमें रखे कागजो के अन्दर रिश्वत राशि बरामद हुई है उस कागज का धोवण लिये जाने हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक पारदर्शी प्लास्टिक का नया डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उनमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात जिस कागज पर रिश्वत राशि रखी हुई मिली थी उस पर सुखी कोटन को रगडा जाकर उक्त कोटन को उक्त घोल मे डुबोया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात दो कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर उक्त धोवण को पृथक पृथक पृथक शीशीयो मे आधा-आधा भरकर व धोवण की शिंशियों पर मार्क क्रमशः पी.डी. 1 व पी.डी. 2 अंकित कर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी से परिवादी के विरूद्व दर्ज शिकायत के सम्बन्ध मे पूछा तो बताया कि दिनांक 30.08.2024 को मै थाने मे डीओ ड्यूटी पर था उस दिन श्री साजन पठान निवासी बडगांव, अजमेर थाने पर आया था तथा श्री दीपु चौहान द्वारा उसकी तीन गाडिया अपने सीमेन्ट के गोदाम में रखने एंव मारने पीटने की धमकी आदि देने की शिकायत प्रस्तुत की तथा दीपु चौहान का लेनदेन बकाया होना बताया। मेरे द्वारा उक्त शिकायत को सीसीटीनएस में ऑन लाईन इन्द्राज करवाया गया जिसमे नम्बर 00994/30.08.2024 होकर परिवाद रजिस्टर के पार्ट 3 में इन्द्राज करवाया गया। सम्बन्धित कागजात इसी क्लीप बोर्ड मे रखे हुये है जिस पर आरोपी स्वंय द्वारा कार्ड बोर्ड मे रखे हुये कागजात पेश किये जिनका अवलोकन किया जाकर समस्त पृष्ठो पर उपस्थितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। पूछने पर श्री सुरेश चन्द ने बताया कि मैं डीओ ड्यूटी पर था एंव घटना क्षैत्र आदर्श नगर चौकी क्षैत्र का होने से परिवाद मैने मेरे स्वंय के जिम्मे किया जाकर जांच आरम्भ की एंव दीपु चौहान जिसका नाम सही नाम विनेन्द्र सिंह को मोबाईल फोन कर थाने पर बुलाया दिनांक 31.08.2024 को विनेन्द्र सिंह थाने पर आया तथा साजन पठान को भी मैने बुला लिया। मैने दोनो पक्षो को आपस में मिलवा दिया तथा इन्होने आपस में बात की व कहा कि हम आपस में लेनदेन की लिखापढी करवा कर आपको देंगें फिर दोनो थाने से चले गये तथा थोडी देर बाद थाने पर आये तथा एक अमानत नामा विलेख नोटरी शुदा दिनांक 31.08.2024 को प्रस्तुत किया जिसमें साजन पठान द्वारा श्री विनेन्द्र सिंह को 260000 रूपये का चैक दिनांक 30.11.2024 का देने बाबत अकंन था मेरे द्वारा अमानत विलेख की फोटो प्रति प्राप्त की एंव श्री साजन पठान द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 30.08.2024 के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही करने बाबत प्रस्तुत किया। मेरे द्वारा उक्त सम्बन्ध मे परिवाद की जांच मे राजीनामा होकर परिवादी द्वारा कोई कार्यवाही करने की रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 01.08.2024 को तत्समय थाना इन्चार्ज श्री भूरी सिंह को दी जिनके द्वारा सीन एण्ड फाईल कर अपने हस्ताक्षर एंव दिनांक का अकंन किया गया। परिवादी ने कहा कि मेरा नाम विनेन्द्र सिंह है दीपु चौहान मेरा निक नेम है जो मेरे बहुत से मिलने वाले दीपु चौहान नाम से पुकारते है। साजन पठान भी मुझे दीपु भाई ही कहता है इसलिये उसने दीपू चौहान नाम से शिकायत की है। कार्यवाही के दौरान श्री दिनेश कुमावत निरीक्षक पुलिस उपस्थित आये जिन्हे तथ्यो से अगवत करवाया गया एंव परिवादी श्री साजन पठान द्वारा पुलिस थाना आदर्श नगर में प्रस्तुत रिपोर्ट के सम्बन्ध मे सीसीटीनएस की ऑन लाईन प्रमाणित प्रति एंव परिवाद रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्राप्त की प्राप्त की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान आरोपियान से हुई पूछताछ, रिश्वत राशि, बरामदगी,रिश्वत राशि,आर्टिकल सील्ड/जब्त करते समय श्री किरण कुंमार कनिष्ठ सहायक के मोबाईल फोन से विडियोग्राफी करवाई गई। कार्यवाही के दौरान श्री भागचन्द्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर उपस्थित आये तथा कार्यवाही के सम्बन्ध मे आवश्यक दिश निर्देश प्रदान कर रूख्सत हुये। श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि को आरोपी की खाना तलाशी हेतु आरोपी के निवास स्थान पर रवाना किया जो बाद खाना तलाशी कार्यवाही उपस्थित आयी। रिश्वत राशि के सम्बन्ध मे पुनः पूछने पर आरोपी ने बताया कि मैने श्री विनेन्द्र सिंह उर्फ दीपू चौहान से कोई रिश्वत की मांग नही की गई है इन्होने मेरे पास मौजूद क्लीप बोर्ड में कब रूपये रख दिये इसकी मुझे जानकारी नही है। मौके पर मौजूद परिवादी ने स्वतः ही आरोपी की बात का खण्डन करते हुये बताया कि दिनांक 31.08.2024 को साजन पठान द्वारा मेरे विरूद्व दी गई शिकायत के क्रम में सुरेश जी द्वारा मुझे जैल भेजने की धमकी दी थी एंव राजीनामा करने के लिये कहा था जिस पर मेरे व साजन पठान के मध्य लिखापढी की जाकर उसकी नोटरी पब्लिक करवाई जाकर इन्हे लिखापढी की फोटो प्रति जिस पर इनके द्वारा खर्चा पानी की मांग की। मेरे द्वारा एसीबी में कल दिनांक 01.09.2024 को शिकायत दी व जब मै कल रिकॉर्डर सहित इनके पास आया तो इन्होने दस हजार रूपये कागज पर लिखकर दिये तथा मैने 9000 रूपये देने के लिये कहा फिर मैने कहा था कि कागज की फोटो कॉपी दे देना दस हजार रूपये दे दूंगा। इसके बाद में आज सुबह मैने इनको आपके ऑफिस से फोन किया जिस पर इन्होने कहा था कि मै ही कॉल कर दूंगा उसके बाद मै इनका मेरे पास फोन आया व मुझे बुलाया इसके बाद में एसीबी टीम के साथ मे आने के बाद मै रिकॉर्डर चालू करके थाना के अन्दर आया मोटर साईकिल खडी करके थानाधिकारी के चैम्बर के पास पहुंचा तो गैलेरी मे श्री सुरेश जी मिले जिनके साथ ही इनके पीछे पीछे मै गैलेरी के रास्ते से पीछे की तरफ गया जंहा पर खुले स्थान में एक बैन्च के पास में मैने इनको दस हजार रूपये रिश्वत राशि दी जो इनके ईशारे अनुसार मैने क्लीप बोर्ड जिन पर कुछ कागज रखे हुये थे के उपर रिश्वत राशि रख दी और रविन्द्र जी को फोन पर रिश्वत राशि देने का ईशारा कर दिया था। थोडी देर में ही आपकी टीम के सदस्य मौके पर आ गये। मैने वार्यस रिकॉर्डर आपकी टीम के श्री श्याम प्रकाश जी को दे दिया। आरोपी श्री सुरेश चन्द

ने बताया कि यह बात सही है कि आज मेरी इनसे मोबाईल फोन पर बात हुई थी परन्तु मै इन्हे रूपयों के लिये नही बुला रहा था मै तो इनके विरूद्व दर्ज शिकायत के कागजात की फोटो इनके मोबाईल में खींचने के लिये बुला रहा था क्योंकि इन्होने कहा था कि मुझे शिकायत के कागजात की जरूरत है जो मेरे काम आयेगी। मैने इनसे कोई रूपये नही मांगे। जिस पर आरोपी के पास मिले क्लीप बोर्ड में रखे कागजो मे मिले रूपयो के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया कि विनेन्द्र ने यह रूपये कब रखे मुझे जानकारी नही है। यह जब मुझे थानाधिकारी कक्ष के पास गैलेरी मे मिला था तब इसने आते ही मुझसे हाथ मिलाया था तथा इससे पहले इसके हाथ उसकी पेन्ट की जेब मे थे। जिस पर परिवादी ने बताया कि सुरेश जी झूठ बोल रहे है मैने ना तो मेरी पेन्ट की जेब मे हाथ डाला और नाही इनसे हाथ मिलाया क्योंकि इनके हाथ में तो क्लीप बोर्ड था जिसमे कागज रखे हुये थे। कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री सुरेश चन्द से मोबाईल फोन प्रस्तुत करने हेतु कहा जिस पर आरोपी द्वारा अपना मोबाईल फोन बरंग ग्रे कम्पनी मोटोरोला एड्ज 50 फ्यूजन होकर इसमें जिओ कम्पनी की सीम मोबाईल नम्बर व बीएसएनएल कम्पनी की सीयूजी सीम मोबाईल नम्बर लगी है जिसकी फर्द निरीक्षण पृथक से मुर्तिब की गई। कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता जो कि वायॅस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को चालू करके सुना गया तो आरोपी व परिवादी के मध्य वार्तालाप होना पाया गया जिसकी फर्द ट्रासंक्रिप्ट पृथक से मुर्तिब की जायेगी। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया है कि परिवादी श्री विनेन्द्र सिंह पुत्र चौहान पुत्र श्री अजय सिंह चौहान जाति माली उम्र 43 साल निवासी 17 सर्वोदय कॉलोनी पुलिस लाईन अजमेर के विरूद्व श्री साजन पठान द्वारा पुलिस थाना आदर्श नगर जिला अजमेर में दी गई शिकायत जिसके नम्बर 994/30.08.2024 होकर परिवाद रजिस्टर पार्ट 3 में क्रम संख्या 994 पर इन्द्राज होकर जांच श्री सुरेश चन्द हैड कानि नम्बर 48 पुलिस चौकी आदर्श नगर पुलिस थाना आदर्श नगर अजमेर द्वारा की जाकर उक्त परिवाद में हुये राजीनामा व थाने मे दर्ज परिवाद को समाप्त करने की एवज में परिवादी से रिश्वत राशि की मांग की जाकर दिनांक 02.09.2024 को परिवादी से 10000 प्राप्त किये जो रिश्वत राशि आरोपी के पास मौजूद मिले क्लीप बोर्ड मे परिवादी के विरूद्व पुलिस थाना आदर्श नगर में दर्ज परिवाद के कागजो के उपर से रूबरू गवाहान बरामद किये गये। आरोपी के दोनो हाथो के धोवण का रंग मटमैला व कागज जिसके उपर रिश्वत राशि बरामद हुई के धोवण का रंग गुलाबी होना पाया गया है, जो आरोपी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित करना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री सुरेश चन्द पुत्र स्व0 श्री दुर्गा प्रसाद उम्र 48 साल मेघवाल निवासी मकान नम्बर 20 अर्जुन लाल सेठी नगर अजमेर हाल हैड कानि नम्बर 48 पुलिस चौकी आदर्श नगर, पुलिस थाना आदर्श नगर अजमेर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित करना पाया जाने पर आरोपी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल का नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण से सम्बन्धित रिश्वत राशिस मांग सत्यापन वार्ता एंव रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता की ट्रासंक्रिप्ट तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समस्त मालखाना आर्टिकल मालखाना मे जमा करवाये गये। अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया है कि परिवादी श्री विनेन्द्र सिंह पुत्र चौहान पुत्र श्री अजय सिंह चौहान जाति माली उम्र 43 साल निवासी 17 सर्वोदय कॉलोनी पुलिस लाईन अजमेर के विरूद्व श्री साजन पठान द्वारा पुलिस थाना आदर्श नगर जिला अजमेर में दी गई शिकायत जिसके नम्बर 994/30.08.2024 होकर परिवाद रजिस्टर पार्ट 3 में क्रम संख्या 994 पर इन्द्राज होकर जांच श्री सुरेश चन्द हैड कानि नम्बर 48 पुलिस चौकी आदर्श नगर पुलिस थाना आदर्श नगर अजमेर द्वारा की जाकर उक्त परिवाद में हुये राजीनामा व थाने मे दर्ज परिवाद को समाप्त करने की एवज में परिवादी से रिश्वत राशि की मांग की जाकर दिनांक 02.09.2024 को परिवादी से 10000 प्राप्त किये जो रिश्वत राशि आरोपी के पास मौजूद मिले क्लीप बोर्ड मे परिवादी के विरूद्व पुलिस थाना आदर्श नगर में दर्ज परिवाद के कागजो के उपर से रूबरू गवाहान बरामद किये गये। आरोपी के दोनो हाथो के धोवण का रंग मटमैला व कागज जिसके उपर रिश्वत राशि बरामद हुई के धोवण का रंग गुलाबी होना पाया गया है, जो आरोपी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित करना पाया गया है। आरोपी श्री सुरेश चन्द पुत्र स्व0 श्री दुर्गा प्रसाद उम्र 48 साल मेघवाल निवासी मकान नम्बर 20 अर्जुन लाल सेठी नगर अजमेर हाल हैड कानि नम्बर 48 पुलिस चौकी आदर्श नगर, पुलिस थाना आदर्श नगर अजमेर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) 1988 का कारित करना पाया जाने पर जाने पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है। (दीनदयाल) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री दीनदयाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) आरोपी श्री सुरेशचन्द पुत्र स्व0 श्री दुर्गाप्रसाद मेघवाल, उम्र 48 वर्ष निवासी मकान नम्बर 20 अर्जुन लाल सेठी नगर अजमेर हाल हैडकानि नं0 48, पुलिस चौकी आदर्श नगर, पुलिस थाना आदर्श नगर, अजमेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्रीमति मीरा बेनीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 59 पर अंकित है। (ज्ञानसिंह

चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज.,जयपुर क्रमांक 1028-31 दिनांक 04.09.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर। 2 पुलिस अधीक्षक, जिला अजमेर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज., जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** meera beniwal **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 0[illegible]/2024 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))**

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	25/03/1976				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)